18/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी कोई उपस्थित नहीं आये प्रार्थी व प्रार्थी वकील को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगवाई गयी। फिर भी अनुपस्थित रहे। ना ही बार-2 अवसर दिये जाने पर ~~बाद~~ प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गयी।

अतः पत्रावली ~~आज~~ अन्तर्गत आदेश 09 R5 के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक